

मैसर्स टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, पटना

5 मई, 2004

एस. राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति एवं जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985

टैरिफ शीर्षक 81 26 - इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रैन - उत्पाद शुल्क की देयता - अधिकरण ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए निर्धारित किया कि वह माल जो शीर्षक 81 26 के अंतर्गत आता है- पटना उच्च न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया व निर्धारित किया गया कि इओटी क्रैन पर कोई उत्पाद कर देय नहीं है - निर्धारित - अधिकरण का आदेश अपास्त किया गया तथा मामला उसे पुनः निए सिरे से निर्णय हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सदृश रखते हुए करने के लिए भेजा गया। उत्पाद कस्टम एवं सोना (नियंत्रण अपीलिय अधिकरण) ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्धारित किया कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (इओटी) जिनका अपीलार्थी उत्पाद कर रहा है वे शीर्षक 81 26 के तहत आती हैं व पूर्ण क्रैन हैं। अतः वो उत्पाद कर योग्य है। पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 09.02.2000 द्वारा निरस्त कर दिया गया व तय किया गया कि इओटी क्रैन पर कोई उत्पाद कर देय नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

अधिकरण का आदेश यह मानते हुए कि माल पूर्ण क्रैन थी जो शीर्षक 81 26 में आती है तथा उत्पाद कर योग्य है को निरस्त करते हुए

मामला पुनः अधिकरण को विचार एवं निर्णय हेतु इस न्यायालय के आदेश व अनुसरण में प्रतिप्रेषित किया जाता है। (107-ई-एफ)

मैसर्स टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद कर आयुक्त, पटना (दी.अ.सं. 782/1987) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत 7.9.2000 साथ में दी.अ.सं 1466/1998 एवं 102/1999) भरोसा किया गया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3973/2001

केंद्रीय उत्पाद कस्टम एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, कलकत्ता जो एफ.ओ सं. ए- 2020/कलकत्ता/2000 जो ए संख्या ई 2040/1991 - बी में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 8.12.2000 के विरुद्ध

अशोक एस. देसाई, राजन नारायण, अजय अग्रवाल, सुश्री सोनू भटनागर अपीलार्थी की ओर से

सुश्री विभा दत्ता मखीजी प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया-

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

इस अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (इओटी) क्रेन उत्पाद कर योग्य है अथवा नहीं।

जिस आदेश की अपील की गई है उसमें अधिकरण ने राजस्व का यह तर्क स्वीकार किया है कि अपीलार्थी की गतिविधि जो (इओटी) क्रेन के पूर्ण करने उत्पाद करने व अपूर्ण व नीचे गिरी हालत में हों या (इओटी) क्रेन के हिस्सों का उत्पादन हो, उसे पहले ही पटना उच्च न्यायालय निपटा चुका है। अपीलार्थी के मामलों में स्पष्ट है कि पटना उच्च न्यायालय का

निर्णय आज भी लागू है जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं दी गई। अतः यह निर्धारित किया गया कि प्रश्नगत माल जो पूर्ण (इओटी) क्रेनों का है व 81 26 शीर्षक का है। परिसीमा के बिंदु पर अधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया कि 9.2.2000 को इस न्यायालय ने सिविल अपील 1466/1998 व 102/1999 के अनुसरण में अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की व पटना उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया। यह भी निर्धारित किया कि (इओटी) क्रेन पर कोई उत्पाद कर देय नहीं है। चाहे वे एकत्र किए गए हों। परिणामतः हम अधिकरण के आदेश का यह भाग निरस्त करते हैं एवं मामले को पुनः परीक्षण हेतु अधिकरण को इस न्यायालय के आदेश के प्रकाश में प्रति प्रेषित करते हैं।

जहां तक परिसीमाकाल एवं अन्य बिंदुओं का प्रश्न है हम अधिकरण के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। सिर्फ इस हद तक जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिकरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

अपील तदनुसार स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।